राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

(प्रशासन अनुभाग–I)

संख्या सी.29012/1/2019-प्रशा-I

दिनांकः 21 जनवरी, 2020

परिपत्र

केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली,1964 के नियम 8 के अनुसार वर्ग 'क', 'ख' तथा 'ग' के सभी अधिकारियों को 31.12.2019 तक **वार्षिक अचल संपत्ति(आईपीआर)** विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है, जिसमें उन्हें स्वयं नाम पर अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पैतृक/स्वाधिकृत /अर्जित संपत्ति अथवा पट्टे पर अथवा गिरवी अचल संपत्ति के बारे में विवरण अनिवार्य रूप से देना होता है। अतः संस्थान के वर्ग 'क', 'ख' तथा 'ग' सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे 31.12.2019 को समाप्त हुए वर्ष हेतु अपनी वार्षिक संपत्ति विवरण 31-01-2020 तक प्रशासन-1 में यथाशीघ्र जमा करा दें ।

कृपया यह नोट करें कि **"निर्धारित तिथि के भीतर अचल संपत्ति विवरण (आईपीआर) को जमा नहीं करवाने पर** उन्हें मनोनयन(इंपेनलमैंट), प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन, संवेदनशील पदों के लिए आवेदन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन (अनिवार्य प्रशिक्षण के अतिरिक्त) करने हेतु **सतर्कता संबंधी स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी**,क्योंकि उक्त प्रयोजनों के लिए आईपीआर प्रस्थिति की जाँच करने की आवश्यकता होती है। यदि किसी अधिकारी ने 31 जनवरी 2020 तक विगत वर्ष की अपनी वार्षिक अचल संपत्ति विवरण नहीं भेजा तो उसे सतर्कता संबंधी स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने संबंधी निर्धारित फार्म संलग्न है।

संलग्नकः यथोपरि

(अनिल कुमार)
उप-निदेशक(प्रशा.)

प्रति प्रेषित

- संस्थान के सभी वर्ग 'क', 'ख' तथा 'ग' अधिकारी
- संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु कंप्यूटर केंद्र प्रभारी
- सूचनार्थ हेतु सतर्कता अधिकारी

फार्म

31/12/2018 को समाप्त हुए कैलेंडर वर्ष के अनुसार अचल संपत्ति का विवरण

1. अधिकारी का पूरा नाम तथा अधिकारी किस सेवा से संबंधित है ______________________
2. वर्तमान में आसीन पद ______________________
3. वर्तमान वेतन ______________________

जिला, उप-मंडल, ताल्लुक तथा गांव का नाम जहां सम्पत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा विवरण						टिप्पणी
	आवासीय तथा अन्य भवन	भू-संपत्ति	*वर्तमान मूल्य	यदि अपने नाम नहीं है तो बताएं कि किसके नाम है, तथा सरकारी कर्मचारी के साथ उनका क्या संबंध है?	कैसे अर्जित की गई, क्या खरीदकर पट्टे ** पर ली, गिरवी, पैतृक, उपहार में अथवा अन्य तरीके से प्राप्त हुई है, अर्जन की तिथि तथा जिन व्यक्ति/व्यक्तियों से अर्जित की, उनके नाम ब्योरे सहित	संपत्ति से वार्षिक आय	

हस्ताक्षर ....

दिनांक...

जो लागू न हो उसे काट दे।

*यदि कहीं सही मूल्य का आकलन करना संभव न हो तो वर्तमान स्थितियों में अनुमानित मूल्य का उल्लेख किया जाए।

**अल्पावधि पट्टे को भी शामिल किया जाए।

टिप्पणी: सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1955 के नियम 15(3){अव केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(1)} के अनुसार वर्ग 'क' सेवाओं के श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 तथा वर्ग 'ख' के प्रत्येक सदस्य द्वारा सेवा में प्रथम नियुक्ति पर तथा उसके पश्चात पत्येक 12 माह के अंतराल पर उनके द्वारा स्वाधिकृत, अर्जित या पैतृक अथवा उनके द्वारा या तो अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे पर अथवा गिरवी सभी अचल संपत्ति का ब्योरा देते हुए घोषणा फार्म भरना तथा प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

The National Institute of Health and Family Welfare
(Admn.I)

No. C. 29012/1/2019-Admn.I
Dated: 21.01.2020

CIRCULAR

Subject: Submission of Annual Immovable Property Return – reg.

According to Rule 18 of Central Civil Services(Conduct) Rules, 1964, all Group 'A', 'B' and 'C' Officers are required to submit an annual property return as on 31-12-2019 giving full details of the immovable property inherited/owned/acquired by them or held by them on lease or mortgage either in their own name or in the name of any member of their family or the name of any other person. Therefore, all Group 'A', 'B' & 'C' Officers of the Institute are requested to submit their annual property return for the year ending 31-12-2019 to Admin-I Section latest by 31-01-2020.

It may be noted that **non-submission of IPR within the stipulated date, would invite the denial of vigilance clearance** for empanelment, application for deputation and applying to sensitive posts and assignments to training programme(expect mandatory training) as the IPR status also needs to be checked for the said purposes that vigilance clearance shall be denied to an officer if he/she fails to submit his/her annual immovable property return of the previous year(i.e. 2019) by 31st January of the following year.

The prescribed form for submitting the return is enclosed.

Encl: As above

(Anil Kumar)
Dy. Director (Admn.)

Copy to:

- All Group 'A', 'B' & 'C' Officers of the Institute
- I/c Computer Centre to upload on the website of the institute
- Vigilance Officer NIHFW for information.

स्वस्थ रहें - खुश रहे : **Be Healthy - Be happy**
भ्रष्टाचार मुक्त नये भारत का निर्माण-हम सबका हो घ्येय

Statement of Immovable Property for the year ending 31-12-2014.

1. Name of Officer (in capital) and service to which the officer belongs ______________________
2. Present post held ______________________
3. Present Pay ______________________

Name of District, Sub-Division, Taluk and Village in which property is situated	Name and details of property						
	Housing and other buildings	Lands	*Present value	If not in own name state in whose name held and his/her relationship to the Government Servant	How acquired whether by purchase, lease**, Mortgage, inheritance, gift, or otherwise, with date of acquisition and name with details of person/persons from whom acquired	Annual income from the property	Remarks

Signature ....

Date: ....

*Inapplicable clause to be struck out.

* In case where it is not possible to assess the value accurately the approximate value in relation to present conditions may be indicated.

** Includes short-term lease also.

Note - The declaration form is required to be filled in and submitted by every member of Class-I and Class-II (Gr. A and B) services under Rule 15(3) of the Central Civil Services (Conduct) Rules 1955 {now Rule 18(1) of the CCS(Conduct) Rules 1964}, on the first appointment to the service and thereafter at the interval of every twelve months, giving immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any members of his family or in the name of person.